न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी0सी0एम0एस0 – 2019/00017
राजस्व वाद संख्या 01/2019

कर्ण सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, जाति अहीर निवासी ग्राम दजीरावाद, गुडगांव (हरियाणा), हाल आगाद ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – – प्रार्थी

बनाम

1. श्रवण लाल पुत्र श्री बिरदाराम जाति जाट निवासी ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. बलवान पुत्र श्री हनुमान सहाय जाति जाट निवासी राधा किशनपुरा, हाल आबाद ग्राम शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. जयपुर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव जयपुर।
4. ग्राम पंचायत मण्डा भोपावास, तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. गौरी शंकर पुत्र बिरदा
6. छोटी पत्नी हनुमान सहाय
7. हनुमान सहाय पुत्र रामपाल
8. नरसी पुत्र हनुमान सहाय
   जातियान जाट, निवासीगण शेरावतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. ओमप्रकाश पुत्र रामू जाट
10. जगदीश पुत्र घीसाराम जाट
11. मदन पुत्र घीसाराम जाट
    निवासीगण मण्डा भोपावास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
12. हनुमान पुत्र घीसा जाट
13. राजू पुत्र रामू
14. मुकेश पुत्र रामू
15. रामकुमार पुत्र नारायण जाट
    निवासीगण मण्डा भोपावास, तहसील जयपुर जिला जयपुर।
16. तहसीलदार आमेर मुख्यालय आमेर जिला जयपुर।

– – – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत कृषि जोत पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने व मौके पर कब्जा मुताबिक सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने

निर्णय दिनांक :–15.07.2022

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी ने एक वाद बाबत तकासमा कृषि भूमि ख0नं0 957 रकबा 6.56 हैक्टे0 ग्राम शेरावतपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में प्रार्थी के हिस्सा 2/3 बाबत प्रस्तुत किया जो वाद सं0 339/2016 उनवानी कर्ण सिंह बनाम श्रवण लाल वगैरह दिनांक 13.06.2012 को डिक्री किया गया तथा उक्त आराजी का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने के निर्देश तहसीलदार आमेर को दिया कि उभय पक्षों की मौजूदगी में तकासमा किये जाये व तकासमा कुरेजात रिपोर्ट भिजवायें। कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 26.12.

2018 को राजस्व कैम्प मुण्डोता में प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री पारित की गई तथा प्रार्थी के हिस्से में ख0नं0 957 रकबा 4.2834 है व ख0नं0 957/5 ख0नं0 0.0300 (संशोधित आदेश दिनांक 16.07.2018) के अनुसार आई।

ग्राम शेरावतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर का राजस्व ख0नं0 957 रकबा 6.56 हैक्टे0 भूमि का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 को श्रीमान् भू प्रबंध अधिकारी, जयपुर के आदेश क्रमांक 549 दिनांक 30.10.2017 की अनुपालना में ई.टी.एस. से सीमाज्ञान में राजस्व एजेन्सी की तकनीकी सहयोग देने हेतु दिनांक 30.10.2017 को भू प्रबंध विभाग से निरीक्षण भू मापक नमन गुप्ता, जगदीश प्रसाद रैगर द्वारा मौके पर पहुंच कर राजस्व विभाग के हल्का पटवारी द्वारा रिकॉर्ड सहित मौके पर पहुंचे तथा ई.टी.एस.मशीन से ख0नं0 957 का सीमाज्ञान कर उसके आसपास के नम्बरों का सुपर ईम्पोज किया हुआ नक्शा मौका संलग्न कर सीमाज्ञान किया है। जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 संलग्न है। इसके लिए सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 14.02.2018 एवं नक्शा असल संलग्न है।

वर्तमान में पडौसी काश्तकारों ने सीमाज्ञान के निशानात मिटा देते है। इस कारण से मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 एवं दिनांक 14.02.2018 के मुताबिक पत्थरगढी शुल्क जमा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर द्वारा मुकदमा उनवानी कर्ण सिंह बनाम श्रवण लाल वगैरह मुकदमा नं0 339/2016 निर्णय दिनांक 13.06.2018 संशोधित आदेश दिनांक 16.07.2018 में प्रार्थी के हिस्से में आई भूमि ख0नं0 957 रकबा 4.2834 हैक्टे0 व ख0नं0 957/5 रकबा 0.0300 हैक्टे0 कुल रकबा 4.3134 हैक्टे0 व मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 व 24.02.2018 व नियमानुसार मौके पर तकासमा किया जाकर पत्थरगढी कब्जा संभालने का कार्य शेष है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक डिक्री दिनांक 13.06.2018 ख0नं0 957 में प्रार्थी के हिस्से अप्रार्थीगण सहकाश्तकारों के हिस्से की सीमाज्ञान पत्थरगढी कर मौके पर कब्जा संभालने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 02, 06 लगायत 08, 09, 10 एवं 11 लगायत 15 की ओर से एडवोकेट प्रहलाद चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 01, 03 लगायत 05 के रजिस्टर्ड नोटिस डाक कराये एक माह से अधिक समय हो चुका है। इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता को पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 16 तहसीलदार, आमेर के पत्रांक एल.आर./22/623 दि. 18.05.2022 के अनुसार ग्राम शेरावतपुरा पटवार मण्डल मूण्डोता के आराजी ख.नं. 957 रकबा 4.2834 हैक्टे0, ख0नं0 957/5 रकबा 0.0300 हैक्टे0 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता सं0 06 प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है तथा पडोसियों के मध्य सीमा विवाद है। उक्त ख0नं0 ग्राम शेरावतपुरा पं0म0 मुण्डोता में स्थित है तथा ग्राम मण्डा तह0 जयपुर की सीमा (काकड़) पर स्थित है जिसका सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 30.10.2017 एवं 14.02.2018 को भू प्रबंध विभाग के सहयोग से किया जा चुका है। (सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न) खातेदार एवं पडोसीयों के मध्य सीमा विवाद है एवं सीमाज्ञान पूर्व में हो चुका है अतः उक्त भूमि का न्यायहित में पत्थरगढी किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा सशुतक आवेदन श्रीमानजी के अधिकार में आता है उक्त भूमि पर किसी भी

न्यायालय का स्थगन नहीं है भूमि मंदिर माफी तथा अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 सीपीसी के तहत खातेदारी कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही बाद पत्थरगढी करवाने का प्रार्थी खातेदार अधिकारी है। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से ग्राम शेरावतपुरा पटवार हल्का मूण्डोता आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 6.56 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी फीस प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। करें। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1/92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के ओदशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

आदेश आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।